



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 28, 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

- (1) श्री अग्नि चन्द्राकर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (2) श्री सत्यभानु चौहान, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) उस्ताद जाकिर हुसैन, सुप्रसिद्ध तबला वादक.

तदुपरांत श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोदगार व्यक्त किये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.09 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.22 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 10 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 176 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिए जाने संबंधी घोषणा की गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
 - (क) क्रमांक एफ 22-02/2019/आठ, दिनांक 1 जनवरी, 2024,
 - (ख) क्रमांक 353-1813970/2024/आठ, दिनांक 23 फरवरी, 2024, एवं
 - (ग) क्रमांक एफ 22-13/2018/आठ, दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 पटल पर रखीं।

(2) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखा।

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23, तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 पटल पर रखे।

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

जनता के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटन में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्यगण द्वारा वेतन समर्पण संबंधी अनुरोध किया जाना।

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि हमारे विधायक दल के साथियों ने तय किया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर, सीमेंट, क्रांकीट सड़क, शाला और चिकित्सालय के लिये पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें जनता के विकास के लिये पैसा चाहिए, उसमें भेदभाव हो रहा है। अन्यथा हम सभी को जो तनाखाह मिलती है, वह हम सभी वापस ट्रेजरी में जमा कराना चाहते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है और यह अभिलेख में पटल पर रख रहा हूं। इस पर सरकार विचार करे, हम आज से बिल्कुल बगैर वेतन के जनता के लिये काम करेंगे।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 6 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

(1) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य ने कटनी नगर निगम अंतर्गत घण्टाघर से जगन्नाथ चौक सड़क मार्ग जर्जर होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य ने भिण्ड जिले में विद्युत संकट की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(3) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। सर्वश्री अजय सिंह एवं पंकज उपाध्याय, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया।

(4) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने प्रदेश के कई आदिवासी जिलों में बच्चों में कुपोषण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. अध्यक्षीय घोषणा

विशेषाधिकार भंग की सूचना को समिति को सौंपा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – “मैंने श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य द्वारा संपादक, दैनिक महाकौशल एक्सप्रेस समाचार पत्र, सिवनी के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है। कृपया सदन सूचित हो।”

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 3, 10	डॉ. रामकिशोर दोगने एवं श्री आशीष शर्मा	30 मिनट
2.	क्रमांक - 9	श्री यादवेन्द्र सिंह	30 मिनट

इंजी. प्रदीप लारिया, ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव

स्वीकृत हुआ।

(2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सभापति द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

9. शासकीय वक्तव्य

श्री प्रह्लाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर "अटल ग्राम सुशासन भवन" के निर्माण संबंधी वक्तव्य दिया।

10. अध्यक्षीय घोषणा

विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अधिकृत किया जाना।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - "आज की कार्यसूची के पद 7 के ऊपर 6 में अंकित विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा उक्त विधेयक के संबंध में प्रस्ताव किये जाने हेतु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

अतः मैं, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, के नियम- 66 के परन्तुक के अधीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को उक्त विधेयक पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।"

11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुए मानी गई :-

- (1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-सीहोर)
- (2) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
- (3) श्री धनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
- (4) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-रतलाम)
- (5) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
- (6) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
- (7) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
- (8) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (9) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (10) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
- (11) श्री सोहनलाल बाल्मीकी (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (12) श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-मण्डला)
- (13) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (14) श्री केदार चिङ्गाभाई डावर (जिला-खरगोन)
- (15) श्री चैन सिंह वरकड़े (जिला-मण्डला)
- (16) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
- (17) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
- (18) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
- (19) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर शहर)
- (20) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
- (21) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
- (22) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
- (23) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (24) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (25) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
- (26) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला-खरगोन)
- (27) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (28) श्री विसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
- (29) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
- (30) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
- (31) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
- (32) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
- (33) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
- (34) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
- (35) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
- (36) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
- (37) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
- (38) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
- (39) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (40) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
- (41) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)

- (42) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
- (43) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
- (44) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
- (45) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (46) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
- (47) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
- (48) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
- (49) श्री मुकेश टंडन (जिला-विदिशा)
- (50) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
- (51) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
- (52) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
- (53) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
- (54) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
- (55) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
- (56) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी (जिला-सागर)
- (57) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
- (58) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
- (59) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगरा-मालवा)
- (60) श्री विश्वनाथ सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (61) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (62) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
- (63) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
- (64) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (65) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
- (66) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (67) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
- (68) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
- (69) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
- (70) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
- (2) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (3) श्री गौरव सिंह पारधी

श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 से 36 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवडा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(अपराह्न 1.31 से 3.06 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

13. नियम 267-के अधीन विषय

- (1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् जिले में सङ्कें खराब गुणवत्ता और मंथर गति से बनाई जाने,
- (2) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में अनियमितता बरती जाने,
- (3) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने प्रदेश में सङ्कों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने से सङ्क दुर्घटनायें होने,

- (4) डॉ. हीरालाल अलावा, सदस्य ने मनावर विधान सभा क्षेत्र के अजंदा स्थित शासकीय हाई स्कूल भवन की हालत जर्जर होने,
- (5) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने छतरपुर की कृषि भूमि की खरीदी में क्रेताओं के नामों में पटवारी द्वारा शासकीय रिकार्ड में हेर-फेर किये जाने,
- (6) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य ने रतलाम जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने,
- (7) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में सुदूर संपर्क/खेत सड़क का निर्माण कार्य अधूरा बताये जाने एवं
- (8) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने डिण्डोरी में कृषक हितकारियों को रवि फसल के लिये बीज वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी नियम 267-के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

14. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन

श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आज लोक सभा में कथित रूप से धक्का मुक्की संबंधी घटना का उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - "नेता प्रतिपक्ष महोदय आप बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं। आपको यह मालूम है कि दूसरे सदन के किसी भी विषय पर यहां चर्चा नहीं होती है।"

कांग्रेस पक्ष द्वारा उक्त घटना के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

श्री प्रह्लाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा आसंदी से औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 एवं 251 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी दूसरे सदन का या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दोनों बातें की हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस कथन को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त शब्दावली कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश दिए गए।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः):

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री अभय मिश्रा
- (2) श्री फूलसिंह बरैया
- (3) श्री राजन मण्डलोई
- (4) श्री सोहनलाल बाल्मीकी
- (5) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा खण्ड 2 में एक संशोधन प्रस्तुत किया, जिस पर मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया गया।

विचारोपरांत खण्ड 2 का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

आसंदी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "मेरे पास चर्चा के लिए माननीय सदस्यगण द्वारा नाम नहीं दिए हैं।"

श्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (2) श्रीमती रीती पाठक
- (3) डॉ. हीरालाल अलावा
- (4) डॉ. सीतासरन शर्मा
- (5) श्री फूलसिंह बरैया
- (6) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
- (7) श्री उमंग सिंघार

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 एवं 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.}

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय

(3) श्री राजेन्द्र भारती

(4) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

(5) श्री सोहनलाल बाल्मीकि

16. अध्यक्षीय घोषणा.

सदन के समय में वृद्धि विषयक.

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(6) श्री ओमकार सिंह मरकाम

(7) डॉ. रामकिशोर दोगने

(8) श्री राजन मण्डलोई

(9) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री भगवानदास सबनानी

श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उदय प्रताप सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

18. गोवा मुक्ति दिवस की बधाई

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन को जानकारी दी कि - "आज गोवा मुक्ति दिवस है और भारतीय जनसंघ ने गोवा मुक्ति के लिये आंदोलन किया था, जिसमें हमारे उज्जैन के एक प्रचारक थे राजा भाऊ महाकाल, वहां उन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी थी. मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और गोवा की जनता को मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से बधाई भी देता हूं."

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "सदन भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है."

**19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा।
प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा**

प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया:--

- (1) श्री बाला बच्चन
- (2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
- (3) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
- (4) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
- (5) श्री नितेन्द्र सिंह राठौर

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुए.}

- (6) श्री दिव्यराज सिंह
- (7) श्री दिनेश जैन (बोस)
- (8) श्री गौरव सिंह पारथी
- (9) श्री दिनेश गुर्जर
- (10) श्री हरिशंकर खटीक
- (11) श्री कैलाश कुशवाह
- (12) श्री बाबू जण्डेल
- (13) श्रीमती रीती पाठक
- (14) श्री विपीन जैन
- (15) श्री विवेक विक्की पटेल
- (16) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू
- (17) श्री मधु भगत
- (18) श्री रजनीश हरवंश सिंह
- (19) श्री प्रीतम लोधी
- (20) डॉ. हीरालाल अलावा
- (21) श्री साहब सिंह गुर्जर
- (22) श्री मोंटू सोलंकी
- (23) श्री चैन सिंह वरकडे
- (24) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (25) श्री अभिजीत शाह
- (26) श्री केशव देसाई
- (27) श्री ऋषि अग्रवाल
- (28) श्री अमर सिंह यादव
- (29) श्री निलेश पुसाराम उर्फ़िके
- (30) श्री केदार चिंडाभाई डाबर
- (31) श्री राजेन्द्र भारती

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

20. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

- (32) श्री उमंग सिंघार, श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

21. बहिर्गमन

प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

अपराह्न 9.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (29 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2024

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा
